न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 24/2025 तारीख रजू:– 07.05.2025

जीसीएमएस नं. 2025/179

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

कैलाशी पुत्र हरीसिंह, जाति गुर्जर, निवासी महताबपुरा, हिण्डौनसिटी, तहसील हिण्डौन, जिला करौली ———————————————— आवेदक

बनाम

श्रीमान लैण्ड होल्डर/तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन जिला करौली– प्रतिपक्षी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बावत दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित:– 1. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत् राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधन किये जाने विरूद्ध प्रतिपक्षी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 5186 रकवा 3.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5187 रकवा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5188 रकवा 3.51 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकवा 7.47 है० बाकें कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है कि जिसका आवेदक 93/4753 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र का 93/4753 हिस्सा आवेदक को अपने पिता हरीसिंह पुत्र घीस्या से विरासत में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार आवेदक उक्त वर्णित भूमि के 93/4753 भाग का विरासत के आधार पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नम्बर 1 प्रार्थना पत्र का विरासत का नामान्तकरण संख्या 5934 भूमि खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1848 का खुला है, जिसमें राजस्व कर्मचारियों की भूल व कदाचार के कारण कैलाशी पुत्र हरीसिंह के स्थान पर कैलाशी पुत्री हरीसिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर दिया है जबकि कैलाशी पुत्र हरीसिंह दर्ज करना चाहिये था।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आवेदक के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, फोटो पहचान पत्र, बैंक पासबुक, भामाशाह कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में आवेदक का नाम कैलाशी पुत्र हरीसिंह दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि विरासत के नामान्तकरण में आवेदक का नाम कैलाशी पुत्र हरीसिंह के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा कैलाशी पुत्री हरीसिंह दर्ज कर दिये जाने से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में आवेदक का नाम कैलाशी पुत्री हरीसिंह दर्ज हो गया है जो गलत है, कैलाशी पुत्री हरीसिंह नाम की कोई लडकी, हरीसिंह के पैदा नहीं हुई है, और ना ही कैलाशी नाम की कोई लडकी आवेदक के परिवार मे है बल्कि आवेदक ही कैलाशी पुत्र हरीसिंह है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि भूमि वर्णित मद नम्बर 1 प्रार्थना पत्र की खातेदारी में आवेदक का नाम कैलाशी पुत्री हरीसिंह हिस्सा 93/4753 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 है जबकि कैलाशी पुत्र हरीसिंह हिस्सा 93/4753 दर्ज होना चाहिये, जो काबिले दुरूस्ती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि आवेदक ने अपने नाम का राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण कराने बाबत श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डौन को दिनांक 08. 02.2024 को प्रार्थनापत्र पेशकर निवेदन किया, जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डौन ने आईएलआर कस्बा हिण्डौनसिटी को बाद जॉच रिपोर्ट करने का आदेश प्रदान किया कि जिस पर आईएलआर साहब ने कोई जाँच नही कर मूल प्रार्थनापत्र मय दस्तावेजात के आवेदक को लौटा दिया है, कि जिसे लेकर आवेदक तहसीलदारजी हिण्डौन से मिला तो, तहसीलदार हिण्डौन ने कहा कि श्रीमान उपजिला कलेक्टर हिण्डौन से आदेश कराकर दिये जाने पर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ही राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धिकरण की कार्यवाही की जा सकेगी, इसलिये आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि आवेदन पत्र हाजा, श्रीमान न्यायालय के काबिले समाअत है एवं निश्चित न्यायशुल्क पर अवधि में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजीयात खसरा नम्बर 5186 रकवा 3.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5187 रकवा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5188 रकवा 3.51 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकवा 7.47 है0 बांकें कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में ओवदक के नाम में कैलाशी पुत्री हरीसिह के स्थान पर कैलाशी पुत्र हरीसिंह हिस्सा 93/4753 संशोधन कर रेवेन्यू रिकॉर्ड/जमाबंदी में संशोधित करने के श्रीमान तहसीलदार हिण्डौन को आदेश प्रदान करें एवं अनुतोष जो न्यायोचित हो, वह भी आवेदक को प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071—74, फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 5934 दिनांक 19.08.2019 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 388318703655 कैलाशी पुत्र हरिसिंह गुर्जर निवासी महताबपुरा हिण्डौन करौली, जन आधार कार्ड सं0 4612730725 की प्रति, फोटो प्रति राशन कमांक 114801300036 चिरोंजी पत्नि हरी सिंह पता सरस डेयरी के सामने, तेली की पंसेरी वार्ड नं0 13 हिण्डौन करौली की प्रति, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र सं0 एसएफसी/0209429 की प्रति, बैंक पासबुक बैंक ऑफ बडोदा की प्रति, मृत्यू प्रमाण पत्र हरिसिंह गुर्जर कमांक 0810700200000000200033/2019 की प्रति, सजरा पार्षद वार्ड0 नं0 24 दिनांक 03.07.2024 पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नंम्बर 5186 रकबा 3.60 है0, 5187 रकबा 0.36 है0, 5188 रकबा 3.51 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 7.47 हैक्टेयर वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली में प्रार्थी का नाम कैलाशी पुत्री हरीसिंह हि0 93/4753 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नंम्बर 5186 रकबा 3.60 है0, 5187 रकबा 0.36 है0, 5188 रकबा 3.51 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 7.47 हैक्टेयर वाके कस्बा हिण्डौन, तहसील हिण्डौन के खातेदारी के कॉलम में कैलाशी पुत्री हरीसिंह हि0 93/4753 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 5934 दिनांक 19.08.2019 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 5186, 5187, 5188, 5210, 5241, 5242, 5244, 5245, 5257, 5258, 5259, 5260, 5262 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में खातेदार हरीसिंह पुत्र घीस्या हि0 93/679 जाति गुर्जर सा0ग्राम खातेदार के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण कैलाशी पुत्री हरीसिंह हि0 93/4753, कौशल्या पुत्री हरीसिंह हि0 93/4753, चिरौंजी पत्नि हरीसिंह हि0 93/4753, फत्तेसिंह पुत्र हरीसिंह हि0 93/4753, भग्गो पुत्री हरीसिंह हि0 93/4753, भौरी पुत्री हरीसिंह हि0 93/4753, रूपसिंह पुत्र हरीसिंह हि0 93/4753 जाति गुर्जर सा0 ग्राम खातेदार के नाम भरकर तस्दीक किया गया है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 388318703655 कैलाशी पुत्र हरिसिंह गुर्जर निवासी महताबपुरा हिण्डौन करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति जन आधार कार्ड सं0 4612730725 में कैलाशी पुत्र हरिसिंह गुर्जर निवासी महताबपुरा हिण्डौन करौली का नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र सं0 SFC/0209429 कैलाशी पुत्र हरिसिंह गुर्जर निवासी इस्लाम का पुरा, वार्ड 10 हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड बार कोड कमांक 114801300036 यू. आई.डी. संख्या 565197277598 चिरोंजी पत्नि हरी सिंह निवासी सरस डेयरी के सामने, तेली की पंसेरी वार्ड नं0 13 हिण्डौन करौली के नाम से जारी किया हुआ है तथा उक्त राशन कार्ड में कैलाशी पुत्र दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति बैंक पासबुक बैंक ऑफ बडोदा शाखा हिण्डौन का खाता संख्या 07008100030979 कैलाशी पुत्र हरीसिंह निवासी महताव पुरा हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी की गई है।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या 08107002000000200033/2019 के अनुसार मृतक हरीसिंह गुर्जर पुत्र घीस्या निवासी सरस डेयरी के सामने महतावपुरा हिण्डौन की मृत्यु दिनांक 30.12.2018 को होना साबित है।

श्री भीमसिंह, पार्षद, वार्ड नं0 24 नगर परिषद हिण्डौन द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 03.07.2024 में अंकित किया है कि प्रमाणित किया जाता है कि हरिसिंह पुत्र घीस्या गुर्जर का स्वर्गवास दिनांक 30.12.2018 को हो गया है। अतः इनके वारिसान में 3 पुत्र व 3 पुत्री हैं। पत्नि चिरौंजी देवी है। जिनका सजरा में हरिसिंह के वारिसान पत्नि चिरौंजी देवी, भौरी, भग्गो, कौशल्या पुत्रियॉ तथा फत्तेसिंह, रूपसिंह, कैलाशी पुत्र हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम कैलाशी पुत्र हरीसिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कैलाशी पुत्री हरिसिंह गुर्जर दर्ज हो गया है। जिसकी प्रार्थी दुरूस्ती कराने का अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 5186 रकबा 3.60 है0, 5187 रकबा 0.36 है0, 5188 रकबा 3.51 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 7.47 हैक्टेयर, वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में खातेदार कैलाशी पुत्री हरीसिंह हि0 93/4753 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के स्थान पर कैलाशी पुत्र हरीसिंह हि0 93/4753 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/4/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली